रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092020-221904 CG-DL-E-23092020-221904

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2879] No. 2879] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

का. आ. 3227(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,2016 (2016 का 16) की धारा-17 के साथ पठित धारा-16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समयोचित होने के कारण, केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा निम्नांकित आदेश बनाती है, नामत:-

- 1. **लघु शीर्ष, प्रारंभ और अनुप्रयोगः**-(1) इस आदेश को ऑटोमोबाइल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश,2020 कहा जाएगा।
- (2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से एक वर्ष बाद से प्रभाव में आएगा।
- (3) यह तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सामग्री पर भी अनुप्रयोज्य होगा, बशर्ते इस आदेश की कोई भी बात निम्नांकित के लिए आशयित उक्त वस्तुओं अथवा सामग्री पर अनुप्रयुक्त न हो, अर्थात्-
- (i) निर्यात के लिए आशयित ऑटोमोबाइल पहिया रिम;
- (ii) केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 के नियम 126-क के संदर्भ में, जो किसी वर्ष में छह माह की किसी निरन्तर अविध में, किसी बेस मॉडल और उसके प्रकारों के लिए भारत में बेचे गए वाहनों की संख्या 250 से कम होने पर परीक्षण से छूट प्रदान करता है, प्रति वाहन पाँच पहिया रिम तक;

4398 GI/2020 (1)

- (iii) अनुसंधान और विकास प्रयोजन से, भारत में आयातित अथवा विनिर्मित, ऑटोमोबाइल पहिया रिम वर्ष में 100 संख्या तक;
- 2. **मानक की अनुकूलता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोगः** तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुएं अथवा सामग्री उक्त तालिका में उल्लिखित संगत भारतीय मानक के अनुकूल होंगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुकूलन आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-।। की स्कीम-। के अनुसार ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत मानक चिह्न वहन करेंगी।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारः- तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सामग्री के मामले में, प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकार ब्यूरो के पास होगा।
- 4. आदेश के उपबंधों के उल्लंघन हेतु दंडः इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के उपबंधों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

तालिका (पैराग्राफ 1(3) और (2) देखें)

क्र.सं.	वस्तुएं और सामग्री	भारतीय मानक	भारत मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पहिया रिम- श्रेणी दुपहिया, तिपहिया, ई- रिक्शॉ और ई-कार्ट	आईएस: 16192 (भाग- 1)	ऑटोमोटिव वाहन- दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पहिया रिम भाग-1 हल्का अयस्क पहिया रिम - परीक्षण की कार्यविधि और अपेक्षाएं
2.	पहिया रिम- श्रेणी दुपहिया, तिपहिया, ई- रिक्शॉ और ई-कार्ट	आईएस: 16192 (भाग- 2)	ऑटोमोटिव वाहन- दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पहिया रिम भाग-2 शीट धातु पहिया रिम - परीक्षण की कार्यविधि और अपेक्षाएं
3.	पहिया रिम- दुपहिया, तिपहिया, ई-रिक्शॉ और ई-कार्ट श्रेणी के लिए	आईएस: 16192 (भाग- 3)	ऑटोमोटिव वाहन- दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पहिया रिम भाग-3 स्पोक पहिया रिम - परीक्षण की कार्यविधि और अपेक्षाएं
4.	पहिया रिम-क्रम सं. 1,2 और 3 में उल्लिखित से इतर श्रेणी के लिए	आईएस: 9436	यात्री कारों के पहियों के लिए निष्पादन अपेक्षाएं तथा परीक्षण कार्यविधि
5.	पहिया रिम-क्रम सं. 1,2 और 3 में उल्लिखित से इतर श्रेणी के लिए	आईएस: 9438	ट्रकों और बसों के पहियों या रिम के लिए निष्पादन अपेक्षाएं तथा परीक्षण कार्यविधि

नोटः इस तालिका के प्रयोजन से, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित भारतीय मानक ऐसी अधिसूचना की तारीख़ से लागू होंगे।

[फा. सं. 12(67)/2019-एईआई (20457)]

अमित वरदान,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (Department of Heavy Industry) ORDER

New Delhi, the 21st September, 2020

- **S.O. 3227(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-
- 1. **Short title, commencement and application**. –(1) This Order may be called the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2020.
- (2) It shall come into force after one year from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in the Table: provided that nothing in this order shall apply to said goods or articles meant for the following; namely:-
- (i) automobile wheel rims meant for export;
- (ii) upto five wheel rims per vehicle w.r.t. rule 126A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which grants relaxation from test, if number of vehicles sold in India for a given base model and its variants is less than 250 in any consecutive period of six months in a year;
- (iii) upto 100 number of automobile wheel rims in a year for Research & Development purpose, imported or manufactured in India.
- 2. Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.- The goods or articles specified in the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- 3. **Certification and Enforcement Authority**.- In respect of the goods or articles specified in the Table, the Bureau shall be the certifying and enforcing authority.
- 4. **Penalty for Contravention of provisions of Order** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

TABLE
(See paragraphs 1 (3) and (2))

Sr.No.	Goods and articles	Indian Standard	Title of the India Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
	Wheel Rim- Category 2W,3W,e- rickshaw and e-cart	IS: 16192 (Part 1)	Automotive Vehicles —
			Wheel Rims for Two and Three
			Wheeled Vehicles
			Part 1 Light Alloy Wheel Rims — Method of Tests and Requirements
2.	2.	IS: 16192 (Part 2)	Automotive Vehicles —
	Wheel Rim-		Wheel Rims for Two and Three
	Category 2W,3W,e-rickshaw and e-cart		Wheeled Vehicles
			Part 2 Sheet Metal Wheel Rims — Method of Tests and Requirements
3.		IS: 16192 (Part 3)	Automotive Vehicles — Wheel
	Wheel Rim- Category 2W,3W,e- rickshaw and e-cart		Rims for Two and Three Wheeled
			Vehicles
			Part 3 Spoke Wheel Rims — Method of Tests and

			Requirements
4.	Wheel Rim- for categories other than mentioned in Sr. No. 1,2 and 3	IS: 9436	Performance Requirements and Methods of Tests for Wheels for Passenger Cars
5.	Wheel Rim- for categories other than mentioned in Sr. No. 1, 2 and 3	IS: 9438	Performance Requirements and Methods of Tests for Wheels or Rims for Trucks and Buses

Note: For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standards, as may be notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. 12(67)/2019-AEI (20457)]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.